B.Ed 1st Year
Session – 2020-2021/2022
Subject – **Contemporary India & Education**
Course – C-2/Unit – 1(d)
Topic - **शिक्षा का अधिकार अधिनियम**-2009
(Right to Edcuation Act-2009)

Dr. Amod Kumar Sinha
Associate Professor
Department of Education
A.N.D. College
Shahpur Patory
Samastipur

Lecture No. - 11

भूमिका
(Introduction)

शिक्षा किसी भी व्यक्ति या समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। यूनिस्को (UNISCO) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट "शिक्षा के लिए सांसारिक मॉनिटरिंग (Monitoring) रिपोर्ट -2010" के अनुसार संसार के लिए लगभग 135 देशों ने अपने संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया है तथा अपने बच्चों तथा अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण या सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से भारत मे 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस समय धारा-45 के अधीन 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। दिसंबर 2002 में केन्द्रीय सरकार द्वारा संविधान में 86 वाँ संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 21-क में जोड़ने के परिणामस्वरूप शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया।

उपरोक्त धारा के प्रकाश में केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा का अधिकार बिल संसद में प्रस्तुत किया, जिसपर दोनों सदनों की अनुमति के पश्चात 26-अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इस बिल पर हस्ताक्षर किया। इससे यह अधिनियम का रूप धारण किया तथा यह "Right of Children to Free and Compulsory

Education Act – 2009" (संक्षेप में "Right to Education Act – 2009") के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम 1-अप्रैल 2010 से लागू हो गया है।

Note: - वर्तमान समय में विकलांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा कर दी गई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की विशेषताएँ
(Characteristics of Right to Education Act-2009)

1. **निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार** - शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2000 इस बात की व्यवस्था करता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाए अध्याय-II की धारा-2 के अनुसार विद्यार्थी की अनिवार्य शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होगी तथा उससे किसी भी प्रकार के शुल्क या खर्च नहीं लिए जाएंगे जो उसकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करें।

To be Continued.....